**भारत सरकार**

**महिला एवं बाल विकास मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1228**

**दिनांक 16 दिसम्‍बर, 2013 को उत्तर के लिए**

**महिला एवं बाल विकास योजनाओं के दायरे तथा कार्यक्षेत्र का विस्तार**

**1228. श्री अजय संचेती:**

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) : क्या विभिन्न योजना स्कीमों के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास हेतु योजनाओं के दायरे तथा कार्यक्षेत्र में विस्तार किया गया है;

(ख) : यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों के दौरान तत्संबंधी योजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) : सामाजिक संकेतकों में पुरुषों एवं महिलाओं के बीच अंतर को कम करने में इससे कितनी मदद मिली है?

उत्तर

श्रीमती कृष्णा तीरथ महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

**(क) और (ख) : महिला और बाल विकास मंत्रालय जेंडर समानता प्राप्‍त करने के लिए आवश्‍यकतानुसार महिलाओं और बच्‍चों के कल्‍याण एवं विकास के लिए अपनी स्‍कीमों तथा कार्यक्रमों का दायरा और कवरेज बढ़ाकर न केवल नई स्‍कीमें और कार्यक्रम शुरू कर रहा है अपितु समय-समय पर उनका पुनरूद्धार और सुदृढ़ीकरण भी कर रहा है । मंत्रालय ने निम्‍नलिखित प्रमुख स्‍कीमें शुरू की हैं :**

**(**i**)** राजीव गांधी किशेारी सशक्‍तीकरण स्‍कीम (आरजीएमईएजी) सबला**, भारत (2010)-देश भर के 205 चयनित जिलों में कार्यान्‍वित की जा रही है। किशोरियों का सशक्‍तीकरण करने के लिए सबला जिलों में सबला के स्‍थान पर किशोरी पोषण कार्यक्रम (एनपीएजी) और किशोरी शक्‍ति योजना (केएसवाई) को रखा गया है ।गैर सबला जिलों में, केएसवाई पूर्ववत चल रही है । सबला के अंतर्गत किशोरियों को सेवाओं का एकीकृत पैकेज उपलब्‍ध कराया जा रहा है ।**

**(**ii**)** इंदिरा गांधी मातृत्‍व सहयोग योजना (आईजीएमएसवाई) **(अक्‍तूबर, 2010) उन्‍नत स्‍वास्‍थ्‍य और पोषण के लिए नकद प्रोत्‍साहन उपलब्‍ध कराकर बेहतर योग्‍य वातावरण में योगदान करने के लिए गर्भवती और धात्री माताओं के लिए एक सशर्त नकद अंतरण स्‍कीम ।**

(iii) **समेकित बाल संरक्षण स्‍कीम (आईसीपीएस) (2009-10) –** बाल संरक्षण कार्यक्रम उपलब्‍ध कराती है जैसे कि (क) किशोर न्‍याय के लिए कार्यक्रम, (ख) बेघर बच्‍चों के लिए समेकित कार्यक्रम और (ग) उन्‍नत मानकों सहित राज्‍य और जिला स्‍तरों पर सेवा समर्थित सेवा प्रदायगी, बाल ट्रैकिंग प्रणाली, प्रायोजकता, पश्‍चदेखभाल आदि जैसी नई पहलों के माध्‍यम से एकछत्र के अंतर्गत गृहों(शिशु गृहों) की सहायता के लिए स्‍कीम ।

(iv) **राष्‍ट्रीय महिला सशक्‍तीकरण मिशन (एनएमईडब्‍ल्‍यू) (मार्च, 2010)** – केंद्र सरकार तथा राज्‍य सरकारों के विभिन्‍न मंत्रालयों/विभागों की स्‍कीमों/कार्यक्रमों की समभिरुपता सुनिश्‍चित करके महिलाओं के समग्र विकास के लिए मिशन । महिलाओं को प्रभावित करने वाले विभिन्‍न मुद्दें जिसमें घटता हुआ बाल लिंग अनुपात (सीएसआर), अधिकारों की सुलभता, सतत आजीविका आदि की सुलभता शामिल है, संबंधी अनेक विषयक समभिरूता परियोजनाएं ।

(v) राष्‍ट्रीय पोषण मिशन : 200 अत्‍यधिक प्रभावित जिलों में माताओं तथा बच्‍चों में अल्‍पपोषण की समस्‍या दूर करने के लिए बहु-क्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम और नवम्‍बर, 2012 में राष्‍ट्रव्‍यापी सूचना, शिक्षा और संचार(आईईसी) अभियान शुरू किया गया ।

(vi) उज्‍ज्‍वला (दिसम्‍बर, 2007) – महिलाओं के दुर्व्‍यापार से निपटने के लिए ।

 विभिन्‍न कार्यक्रमगत, प्रबंधकीय और संस्‍थागत कमियों को दूर करने तथा प्रशासनिक और प्रचालनात्‍मक चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार ने बाहरवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 123,580 करोड़ रुपये के समग्र बजट आबंटन से समेकित बाल विकास सेवा(आईसीडीएस) स्‍कीम के सुदृढ़ीकरण और पुनर्गठन को अनुमोदन प्रदान किया है ।

 अन्‍य कार्यक्रमों जैसे कि राजीव गांधी राष्‍ट्रीय क्रेच स्‍कीम, प्रशिक्षण और रोजगार सहायता(स्‍टेप) स्‍वाधार गृह, कामकाजी महिला हॉस्‍टल आदि में भी वृद्धि की गई है ।

 मंत्रालय की अन्‍य स्‍कीमों सहित सुदृढ़ीकृत और पुनर्गठित आईसीडीएस का ब्‍यौरा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट (2012-13) में दिया गया है, जो राज्‍य सभा सचिवालय के पुस्‍तकालय में उपलब्‍ध है । यह मंत्रालय की वेबसाइट www.wcd.@nic.in पर भी उपलब्‍ध है ।

(ग) : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की स्‍कीमों के माध्‍यम से की गई पहलों और उपायों से सामाजिक संसूचकों जैसे कि शिशु मृत्‍यु दर, पोषण संबंधी संसूचकों, साक्षरता दरों और लिंगानुपात आदि में सुधार के परिणामस्‍वरूप पुरुषों और महिलाओं में अंतर कम करने में सहायता मिली है ।

**\*\*\*\*\***